न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0

निगरानी – 6051/2018/छतरपुर/भू.रा.

जमना तनय खोली यादव निवासी शिकारपुरा तहसील नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0

निगराकार / पुरीक्षणकर्ता

बनाम

मिलन तनय सियाराम निवासी शिकारपुरा तहसील नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0

....प्रतिनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 म0प्र0भू0 रा0 सं0

महोदय,

निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील नौगांव प्रकरण क. 69अ12/2017–18 में पारित आदेश 12–12–2017 से व्यथित होकर–

1– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है– भूमि स्थित ग्राम–शिकारपुरा तहसील नौगाव जिला छतरपुर म0प्र0 भूमि खसरा क–274/1 बटांकन करवाकर प्रतिनिगराकार द्वारा तरमीम कराकर सीमांकन कराया गया एवं मौके पर कब्जा पाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जबकि उक्त भूमि शामिल सरीखी भूमि है जिसके बटवारे हेतु प्रतिनिगराकार के द्वारा अधिनस्थ्य न्यायालय तहसीलदार नौगांव के समक्ष म0प्र0 भू0 रा0 संहिता की धारा–178 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जिसे आगे संहिता कहा जावेगा। जिसके विरूद्व में आपत्ति दर्ज की गई बटवारा आवेदन निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध प्रतिनिगराकार द्वारा अधीनस्थ विद्वान न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्याायालय द्वारा स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर निगराकारगणो ने तत्कालीन रेस्पोंडेन्ट वर्तमान में निगराकार के द्वारा द्वितीय अपील मान्नीय आयुक्त महोदया सागर के मध्य प्रस्तुंत की जहॉ से आगामी आदेश अधीनस्थ्य न्यायालय का स्थिगित किया गया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-6051/2018/छतरपुर/भू.रा. जमना विरूद्ध मिलन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 1. आवेदक सावित्री की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । 2. आवेदक के द्वारा राजस्व निरीक्षक मंडल तहसील नौगांव के सीमांकन आदेश दिनांक 12-12-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 26-12-2018 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 30.10.18 सदस्य	